

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ
/ए-6/36

संख्या

५५९

60
दिनांक: 3.2.2014
366
EWT
31/1/14

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता षष्ठम वृत्त, आगरा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर अध्यक्ष (म0) के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार निर्गत की जाती है:-

क्र0सं0	परियोजना आई0डी0नं0	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	परियोजना की लागत (रु0 लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं0
1-	084306	सिकन्दरा योजना, आगरा के सेक्टर-2सी में स्थित वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत 96 नग (एस+6) बहुमंजिले भवनों का निर्माण कार्य।	2344.71	43/191

- 1- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जाती है कि निविदा आदि की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करने के उपरान्त वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय की अनुमति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करनी होगी।
- 2- कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित विशिष्टियों तथा स्वीकृत ले-आउट प्लान, अनुमोदित स्ट्रक्चरल डिजाइन, ड्राइंग के अनुसार कराया जायेगा एवं निर्धारित कार्यवधि में पूर्ण किया जायेगा।
- 3- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व फायर फाइटिंग विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग तथा पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय।
- 4- परियोजना से सम्बन्धित अभिलेख/पत्राचार उक्त प्रोजेक्ट आई0डी0 नम्बर के साथ ही संदर्भित किये जायेंगे।
- 5- तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- 6- कार्य की विभिन्न मदों की मात्राओं एवं विभिन्न मदों की दरों के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
- 7- विस्तृत प्राक्कलन में ली गयी विभिन्न मदों की दरों को आधार नहीं माना जायेगा, प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जायेगा।



(सन्तू राम)

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

दिनांक: ५.३.२०१४

पृ0सं0:

५५९

/ए-6/36

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
- 2- वित्त नियंत्रक एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- 3- अधीक्षण अभियन्ता (प्र0)/अधीक्षण अभियन्ता, षष्ठम वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/आगरा।
- 4- अधिशासी अभियन्ता (तक0)/निर्माण खण्ड-09 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/आगरा।
- 5- मूल्यांकन /सम्परीक्षण अधिकारी, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।



वरिष्ठ स्टाफ आफिसर



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ



संख्या

/एई.(ई./एम)/ई.डी-3/86

दिनांक

कार्यालय आदेश

अधिशाली अभियन्ता, विद्युत खण्ड-तृतीय, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद कानपुर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर अध्यास आयुक्त (न०) के अनुमोदन दिनांक 23.11.2015 के क्रम में निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा नियमानुसार प्रदान की जाती है:-

क्रमांक	परियोजना	योजना/परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (रु० लाख में)	लेखा शीर्षक एवं विंडा अ०
1-	आई०डी० न० 084349	रिक्वायर्स योजना आगरा के सेक्टर-2 सी में निर्माणाधीन बहुमंजिली(एस+6) भवनों में आन्तरिक/वाह्य विद्युतीकरण एवं सर्वमसिद्धि पम्प के संस्थापन के कार्य।	286.46	43/197

- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निविदा आदि की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करने के उपरान्त वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय की अनुमति अलग से लेनी होगी।
- उक्त कार्य मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।
- प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर कार्य पूर्ण होने की स्थिति तक प्रोजेक्ट उक्त आई०डी० नम्बर के साथ ही सदमित किये जायेंगे।
- विरस्त प्रकल्पन में ली गयी दरों को आधार न माना जाय। प्रतिप्रधात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जाय।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तकाओं के संसृजत प्राविधानों, समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत परिषद आदेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रसंगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- परियोजनासम्बन्धित प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिशाली अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
- परियोजनासम्बन्धित प्रस्तावित कार्य को द्विरावृत्ति(डुप्लिकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से आवंटित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु किसी अन्य ज्ञात संविदा घोषण नहीं किया जा रहा है।
- उक्त कार्य की प्रशासनिक/वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त कार्यस्थल एवं आवश्यकतानुसार कार्य की निविदाओं का आयोजन किया जाय।
- खण्ड द्वारा लंबर हेरा की धनराशि का भुगतान नियमानुसार संबंधित विभाग को किया जायेगा।
- परियोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त कार्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त मार्च-2016 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
- निर्माण लागत में आगे कोई वृद्धि नहीं होगी तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायगी।

(एस०के०रायतानी)
अधीक्षण अभियन्ता(प्र०)

दिनांक 30/11/15

संख्या: U613 /एई.(ई./एम)/ई.डी-3/86

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वि.डी. सचिव, आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक एवं मुख्य लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट), उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. वरिष्ठ स्टॉक आफिसर, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत खण्ड, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
7. अधिशाली अभियन्ता(न०)/विद्युत खण्ड-तृतीय, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/कानपुर।
8. मुख्यांकन/समन्वयक अधिकारी उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता(प्र०)

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
(अभियन्त्रण अनुभाग)
104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

संख्या

951 / ए-6/36

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, षष्ठम वृत्त, आगरा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर एतद्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्नवत् निर्गत की जाती है:-

1-कार्य का विवरण

सिकन्दरा योजना, आगरा के सेक्टर-2सी में स्व वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत 96 नग (एस+6) बहुमंजिले भवनों का निर्माण कार्य।

2-आई०डी०कोड सं०

084306

3- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का संदर्भ

अभियन्त्रण अनुभाग के कार्यालय आदेश संख्या-949/ ए-6/36 दि० 04.03.2014 के द्वारा रु० 2344.71 लाख

4- तकनीकी स्वीकृति की धनराशि

रु० 2344.71 लाख

5- लेखा शीर्षक एवं वित्त संख्या

43/191

प्रतिबन्ध

- 1- तकनीकी स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जाती है कि निविदा आदि की कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करने के उपरान्त वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय करने की अनुमति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त करनी होगी।
- 2- कार्यों का सम्पादन सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत विशिष्टियों/प्राविधानों के अनुसार कराया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि विशिष्टियों/प्राविधानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त की जायेगी।
- 3- विस्तृत प्राक्कलन में ली गई विभिन्न मदों की मात्राओं, दरों एवं विभिन्न सामग्रियों की बाजार दरों के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
- 4- तकनीकी स्वीकृति से अधिक धनराशि किसी भी दशा में व्यय न की जायेगी।
- 5- कार्य निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रतिबन्ध के अनुसार कराया जायेगा।
- 6- विस्तृत प्राक्कलन में सम्मिलित इंजीनियरिंग एप्रीसिएशन को आधार नहीं माना जायेगा। प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करते हुए कार्य कराया जायेगा।

प्र०सं०: 951 / ए-6/36

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- वित्त नियंत्रक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
- 2- वरिष्ठ स्टाफ आफिसर/अधीक्षण अभियन्ता, षष्ठम वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/आगरा।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-09/अधिशासी अभियन्ता (तक०) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, आगरा/लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता

दिनांक 4.3.2014

मुख्य अभियन्ता



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ



5

संख्या:

/एई(ई/एम)/ई.डी.-3/66

दिनांक

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ के पत्रांक 760/एम-7/130 दिनांक 07.12.2015 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं संस्तुति के क्रम में एतद्वारा तकनीकी स्वीकृति निम्नवत् निर्गत की जाती है-

1- योजना का नाम	सिकन्दरा योजना, आगरा।
2- जमीन का विवरण	सिकन्दरा योजना, आगरा के सेक्टर-2सी में निर्माणाधीन बहुमंजिली (एस+6) भवनों में आन्तरिक/वाह्य विद्युतीकरण एवं सड़कसिमेंटल पाव कोयलस्थापन के पथों।
3- आवेदन संख्या	084349.
4- अ- प्रशासनिक स्वीकृति का संदर्भ	अभियंत्रण अनुभाग के कार्यालय आदेश संख्या 4613 /एई(ई/एम)/ई.डी.-3/66 दि० 30.11.2015
5- कार्य की लागत	रु० 286.46 लाख
6- तकनीकी स्वीकृति की लागत	रु० 286.46 लाख
7- लेखा शीर्षक संख्या	43/197

प्रतिबन्ध

- आदेशासी अभियन्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रशस्त कार्य हेतु परिषद मुख्यालय से निम्न प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति की धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न की जाय।
- कार्य का सम्पादन प्राक्कलन में प्राविधानित मर्तों एवं उनकी स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कराया जाय। विशेष परिस्थितियों में यदि विशिष्टियों/प्राविधानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उनका अनुमोदन कार्य करने से पूर्व ही सक्षम अधिकारी से आशय प्राप्त कर लिया जाय।
- कार्यस्थल पर कार्य तत्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही कराया जाय।
- प्राक्कलन में सम्मिलित एप्रोसिडेशन को आचार न माना जाय। प्रतिस्पर्धात्मक दरे प्राप्त करने हुए ही कार्य कराया जाय।
- कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का परीक्षण, कार्य करने से पूर्व अवश्य करा लिया जाय।
- कार्य कार्य-युक्त मार्च-2016 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करे।

(आरोपित/अध्यक्ष)
मुख्य अभियन्ता

सं० 4852/एई(ई/एम)/ई.डी.-3/66

दिनांक 17.12.2015

प्रतिनिधि: निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- विला नियंत्रक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।
- 2- अधीक्षण अभियन्ता, प्रोजेक्ट/वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर/अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ।
- 3- आदेशासी अभियन्ता(गु०)/विद्युत खण्ड-तृतीय उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ/कानपुर।

मुख्य अभियन्ता